न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पावा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 192/2015 (पुराने नं. 42/2004)
दायरा तिथि 12.06.2015 (15.04.2004)
निर्णय तिथि 19.06.2017

वादीगण– **बनामः** **प्रतिवादीगण–**

स्व.चतरा पुत्र लखाजी के का.मु.–
1–उदाराम पुत्र स्व.चतराजी
2–घीसाराम पुत्र स्व.चतराजी
3–रूपाराम पुत्र स्व.चतराजी
4–कानाराम पुत्र स्व.चतराजी
5–रमेश पुत्र स्व.चतराजी
6–बेबी पुत्री स्व.चतराजी पत्नी मानारामजी
तमाम जाति घांची निवासी पावा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

1–स्व.वीरा के का.मु.–
1/1–रामा पुत्र स्व.वीराजी
1/2–भंवरलाल पुत्र स्व.वीराजी
1/3–वचना पुत्र स्व.वीराजी
1/4–गणेशा पुत्र स्व.वीराजी
2–अचला पुत्र लखाजी
3–गमीयाराम पुत्र लखाजी
तमाम जाति घांची निवासी पावा
4–कन्याबाई पत्नी भंवरसिंहजी
जाति रावणा राजपूत निवासी पावा
5–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 19.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र पावा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा पावा, पटवार सर्कल पावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 646, 648, 649, 651, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 2514 कुल रकबा 13.08 हेक्टर वार्षिक लगान रूपये 204.44 आयी हुई है, जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा सहखातेदारी का आता है व उक्त आराजी में से प्रतिवादी सं.02 अचला ने अपना निहित हिस्सा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 21.07.2004 द्वारा प्रतिवादी सं.04 कन्याबाई को को बैचान कर दिया है परन्तु उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वादीगण व प्रतिवादी सं.01, 03 व 04 के मध्य आज तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा किया हुआ नहीं है, जिससे वर्तमान मे खातेदार द्वारा संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं है और खातेदारो को अपने हक–हिस्से की भूमि में विकास व सुधार कार्य करने में काफी परेशानी आ रही है, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अपने–2 हक–हिस्से मुजब बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने हेतु कहा गया लैकिन प्रतिवादीगण बंटवाडे के लिए टालम टोली करते आ रहे है और प्रतिवादीगण, वादीगण के 1/4 हक–हिस्से व बट की खातेदारी कृषि भूमि मे दखलदाजी या हस्तक्षेप करने पर आमादा रहते है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार व डिक्री किया जाकर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में खातेदारों के मध्य उनके हक–हिस्सा मुजब बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाया जाकर

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाये जाने व वादीगण के 1/4 हक–हिस्से व बंट की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः संबंधित जमाबंदी संवत् 2056–59, नक्शा ट्रेस व स्व.चतरा पुत्र लखाजी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिया प्रस्तुत की गई है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से हमने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि के बारे में मनन व विचारण किया, जिसके आधारित वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है और इस प्रश्नगत् मामले में हमारी विधिक राय है कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित करना उचित समझते है कि वे उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वादीगण के 1/4 हिस्से अनुसार व प्रतिवादी सं.01, 03, 04 के मध्य उनके खातेदारी हक–हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करके प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में यथासमय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा पावा, पटवार सर्कल पावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 646, 648, 649, 651, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 2514 कुल रकबा 13.08 हेक्टर वार्षिक लगान रूपये 204.44 के बारे में वादीगण के 1/4 हिस्से अनुसार व प्रतिवादी सं.01, 03, 04 के मध्य उनके खातेदारी हक–हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा किया जाकर प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में यथासमय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। निर्णय व प्राथमिक डिक्री–पर्चा की सत्यापित प्रतियां तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। माफिक निर्णय, प्राथमिक डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 19.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बलाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर जिला पाली

Scanned by CamScanner